फर्द अहकाम

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल बनाम देवाराम वगै0

नाम न्यायालय:– उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक
प्रकरण संख्या:– 36/2.4.18

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि0वि0
	02.04.18	तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम गुढामानसिंह तह0 किशनगढ रेनवाल का पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 10.08.16 को जारी राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र प.3(2) राज–6/2003/पार्ट के क्रम में ख0न0 123, 123/2, 194, 205 के सभी सह खातेदारों नें रास्ते दर्ज करवाने हेतु सहमति के आधार पर राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रैस के अनुसार गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने प्रेषित किये है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रैस एवं पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का व तहसीलदार किशनगढ रेनवाल की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाकै ग्राम गुढामानसिंह तह0 किशनगढ रेनवाल के आराजी ख0न0 123, 123/2, 194, 205 में ख0न0 123/1 रकबा 0–02–16, 123/2 रकबा 0–00–10, 194 रकबा 0–03–12 एवं 205 रकबा 00–17–14 में खातेदारों की सहमति एवं तहसीलदार किशनगढ रेनवाल की अनुशंसा के आधार पर किस्म भूमि मौका स्थिति अनुसार गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित की जाकर प्रस्तावित तरमीम अनुसार नक्शे में लाल स्याही से तरमीम की जावें। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश की प्रति एवं प्रस्तावित नक्शे की एक प्रति अमल दरामद हेतु भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 02.04.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी साँभर लेक	

Scanned by CamScanner